

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/463 /

जबलपुर, दिनांक 22/01/2019

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्रलेखक के पद पर वेतनमान रूपये 9300- 34800 + ग्रेड पे रु. 3600/- (7 वें वेतनमान में लेवल 9 पे मेट्रीक्यु 36200-114800) पर नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना का नाम
1.	कु. आरजू, खण्डेलवाल आत्मजा श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल,	खण्डपीठ ग्वालियर
2.	कु. विशाखा खरे, आत्मजा श्री आलोक खरे	मुख्यपीठ जबलपुर
3.	कु. हरनीत कौर आत्मजा श्री सर्वराज सिंह,	खण्डपीठ ग्वालियर
4.	श्री विपिन कुमार अग्रहरी आत्मज श्री ओमप्रकाश अग्रहरी,	खण्डपीठ ग्वालियर
5.	सुश्री प्रियंका पिठवे, आत्मजा श्री के.के. पिठवे,	मुख्यपीठ जबलपुर
6.	कु. अपर्णा तिवारी आत्मजा श्री राममिलन तिवारी,	मुख्यपीठ जबलपुर
7.	श्री रवि शंकर तिवारी, आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी,	खण्डपीठ इंदौर

- यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
- यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर / प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
- यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके सबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
- यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक् होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
9. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त समझी जावेगी।
11. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
12. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण- पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार



(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/464 /

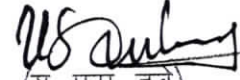
जबलपुर, दिनांक 22/01/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर/खंडपीठ ग्वालियर (म.प्र.), की ओर इस आशय के सूत्र संप्रेषित कि वे उनकी खंडपीठ में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपरिवर्णित शर्तों का पालन अभ्यर्थी द्वारा कर लिया गया है तथा 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना तत्काल इस रजिस्ट्री को भिजवाने हेतु।
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./आई.एल./ (सतर्कता)/एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च

8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/न्यायिक/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण/डी.पी.एफ./वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. कु. आरजू खण्डेलवाल आत्मजा श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल, 44 बी, राधा विला, न्यू नेहरू कॉलोनी थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474011
18. कु. विशाखा खरे, आत्मजा श्री आलोक खरे, 282ए न्यू राम नगर, सुराही बिल्डिंग के पास, अमखेरा रोड, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)-482004,
20. कु. हरनीत कौर आत्मजा श्री सर्वराज सिंह, कर्वा नं-एम 1248, ब्लॉक-सी, ऊर्जा नगर, बिजुरी जिला अनुपपूर (म.प्र.) 484440
21. श्री विपिन कुमार अग्रहरी आत्मज श्री ओमप्रकाश अग्रहरी, ग्राम-सूरजभानपुर, पोस्ट महारादा, तहसील सौरान जिला इलाहाबाद उत्तरप्रदेश 212507
22. सुश्री प्रियंका पिठवे, आत्मजा श्री के.के. पिठवे, 1/बी, मानव लोक सोसायटी, रतन नगर, गुप्तेश्वर रोड, जबलपुर (म.प्र.)
23. कु. अपर्णा तिवारी आत्मजा श्री राममिलन तिवारी, वार्ड नंबर-12, मकान नं-622, बाण गंगा रोड, रामानुज नगर, शहडोल (म.प्र.) 484001
24. श्री रवि शंकर तिवारी, आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम व पो. हुसैनाबाद, जिला बलिया, उत्तरप्रदेश 277219,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू. एस. दुबे)

रजिस्ट्रार-कग-पी.पी.एस.